

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-03

सप्तम (शीतकालीन) सत्र

सोमवार, दिनांक-21 नवम्बर, 2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 02.17 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही "सी.एन.टी.-एस.पी.टी. एक्ट में संशोधन वापस लो" की नारेबाजी करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा सदन की वेल में आ गये। आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने हेतु आग्रह किया गया तथा नेता प्रतिपक्ष से सदन को व्यवस्थित करने हेतु सहयोग का आग्रह किया गया जिसपर नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसन से हस्तक्षेप कर सहयोग की माँग की गयी। सदन में अव्यवस्था के महौल को देखते हुए सभा की कार्यवाही 12.00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्षी दलों के माननीय सदस्यगण सी.एन.टी.-एस.पी.टी. एक्ट में संशोधन के विरोध में नारेबाजी करते हुए पुनः सदन की वेल में आ गये। आसन द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल पुकारा गया तथा माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया गया, परन्तु सदन में अव्यवस्था का माहौल बना रहा जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही सदन में पूर्व की भाँति विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। अव्यवस्था का माहौल पूर्व की भाँति कायम रहा।

1. वित्तीय कार्य:-

श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त द्वारा वित्तीय वर्ष-2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँग प्रस्तुत की गयी।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही 02.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

५०४०३०

अन्तराल

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही सदन में पूर्व की भाँति विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। अव्यवस्था का महौल पूर्व की भाँति कायम रहा।

2. वित्तीय कार्य(क्रमांक-01 से जारी):-

वित्तीय वर्ष-2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणों पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया। इसके उपरांत ध्वनिमत से "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" से सम्बन्धित माँगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं एवं माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिया गया कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

3. विधायी कार्य:-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, अनुपूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। तदुपरांत सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक- 23 नवम्बर, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिये स्थगित हुई।

राँची,

दिनांक- 21 नवम्बर, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।